न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 189 सन 2019
अनवान :–

1. मंगलाराम पुत्र सागर जाति मेघवाल निवासी सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 10/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 152/224 के खसरा न0 90 की 11.7650हैक भूमि जिसमें प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम मालाराम कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम मंगलाराम है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम मंगलाराम दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से मालाराम दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सिरगसर द्वारा वादी के सही नाम से सम्बध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी का सही नाम मंगलाराम है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 152/224 के खसरा न0 90 की 11.7650हैक में प्रार्थी का नाम मालाराम के स्थान पर मंगलाराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का नाम लिपिकिय त्रुटी से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे संशोधन किया जाना स्वीकार है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 152/224 के खसरा न0 90 की 11.7650हैक भूमि जिसमें प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम मालाराम कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम मंगलाराम है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम मंगलाराम दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से मालाराम दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सिरगसर द्वारा वादी के सही नाम से सम्बध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी का सही नाम मंगलाराम है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 152/224 के खसरा न0 90 की 11.7650हैक्ट में प्रार्थी का नाम मालाराम के स्थान पर मंगलाराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का नाम लिपिकिय त्रुटी से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे संशोधन किया जाना स्वीकार है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 रोही मौजा सिरगंसर के खाता संख्या 152/224 के खसरा न0 90 की कुल 11.7650हैक्ट भूमि में प्रार्थी मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार दर्ज है एव नाम मालाराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम मंगलाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में मालाराम दर्ज हो गया है जिसे संशोधन करवाकर मालाराम के स्थान पर मंगलाराम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी के द्वारा अपना परिवार राशन कार्ड ,आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र ,राजस्थान सरकार का भामाशाह कार्ड पेश किया है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मंगलाराम दर्ज है सरपंच ग्राम पचायत सिरगसर के द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि प्रार्थी ग्राम सिरगसर का रहने वाला है मंगलाराम एवं मालाराम एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम मंगलाराम है राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है। इसीप्रकार पेरोकार राज ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का नाम सहवन से मालाराम के स्थान पर मंगलाराम दर्ज हुआ है जिसे मालाराम के स्थान पर मंगलाराम संशोधन किया जाना स्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरंपच ग्राम पंचायत सिरगसर के प्रमाण पत्र , पेरोकार राज के जबाब से प्रार्थी का नाम मंगलाराम होना प्रतीत होता है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत सिरगसर के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 152/224 के खसरा न0 90 की 11.7650हैक्ट में प्रार्थी नाम मालाराम पुत्र सागर दर्ज है के स्थान पर मालाराम उर्फ मंगलाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)